बृजमोहन बनाम कुर्रू वगैरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2019/00417	
17-12-2021 वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी सं० 1, 2 के वकील ने पैरवी की हिदायत नहीं होना बताया है। वकील वादी को सुना गया। दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रावली दि० 10-1-2022 को पेश हो।	नकल 3117 पेशी वापस हिदायत हेतु Tare 17.12.21
10-1-22 वकील वादी उप०। बास्ते विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रा० दि० 18-1-22 को पेश हो	
18-1-22 वकील वादी उप०। विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रावली दि० 15-2-22 को पेश हो	
15-2-2022 वकील वादी उप०। विभाजन स्कीम पत्रावली में संलग्न है। विभाजन स्कीम पर वकील वादी को सुना गया। विभाजन स्कीम के अनुसार दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
73/2019	28.06.2019	15.2.2022

बृजमोहन पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी विनेगा तह. गंगापुर सिटी —–वादी

बनाम

1 कुर्रू उर्फ राजेश पुत्र जगमोहन
2 गणेश पुत्र रामजीलाल
3 दयासलो पत्नि जगमोहन
4 धर्मी पुत्र जगमोहन
5 सीमा पुत्री जगमोहन

जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी

6 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबन्धक
7 सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की सहखातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 729 रकबा 0.46 हेक्टर, 729/963 रकबा 0.01 हेक्टर, 741 रकबा 0.11 हेक्टर, 910 रकबा 0.21 हेक्टर, 763 रकबा 0.23 हेक्टर ग्राम विनेगा मे स्थित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिससे अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। भूमि सहखातेदारी में दर्ज रहने से आये दिन सहखातेदारों के मध्य विवाद होते रहते है। इसलिये वादी ने दिनांक 10.06.2019 को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 से तहसील से चलकर आपसी सहमति से भूमि बंटवारा करने के लिये कहा। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इसमें अपनी कोई सहमति व्यक्त नही की। इसलिये वादी को यह दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम विनेगा में स्थित भूमि हाल ख0नं0 729 रकबा 0.46 हेक्टर, 741 रकबा 0.41 हेक्टर, 910 रकवा 0.01 हेक्टर, 763 रकबा 0.23 हेक्टर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से पृथक विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वापदी के कब्जेकाश्त मे ना तो स्वयं बाधा पैंदा करें ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

(8)

बृजमोहन बनाम कुर्रू वगैरा, दावा

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी ने कभी काश्त नहीं की है और न ही वादी का भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा है। वादी ने झूंठा वाकया बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि भूमि पर वादी का कोई कब्जा नही है। कब्जा जबावदार का चला आ रहा है। इस कारण कब्जे के अभाव मे दावा खारिज किया जावे। वादी को कब्जे के अभाव मे बेदखली का दावा पेश करना चाहिये था। वादी ने प्रोपर फोर्म मे दावा पेश नही किया है। इस कारण वादी वार्ड वाई लॉ होने से खारिज होने योग्य है। जबावदारान का काफी वर्ष से कब्जा चला आ रहा है तथा बेदखली की मियाद भी निकल चुकी है। इस कारण दावा वादी मियाद बाहर होने से खारिज किया जावे। वादी चालाक व मुकदमेबाज व्यक्ति है जिसका भूमि पर कोई कब्जा नही है तथा उसने राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम का इन्द्राज होने के कारण जबावदारान को परेशान करने व उनसे रूपये ऐठने के लिये झूॅठा वाकया बनाकर दावा प्रस्तुत किया है। वादी ने कई बीघा सरकारी चारागाह व सिवायचक भूमि व कब्जा किया हुआ है तथा आदतन मुकदमेबाज व्यक्ति है तथा जिसके लिये पृथक से कार्यवाही की जायेगी। वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि शामलाती और है जिनमे जबाबदार का हिस्सा है किन्तु वादी द्वारा उक्त भूमि पर स्टाम्पों से विक्रय कर क्रेता का कब्जा करवा दिया है। मौखिक बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि जबाबदारान के हिस्से मे है परन्तु वादी ने तथ्यो को छिपाकर दावा गलत आधारो पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे। अतः जबाव दावा मय काउण्टर क्लेम मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाते हुए भूमि हाल खसरा नम्बर 729 रकबा 0.47 हेक्टर, 729/963 रकवा 0.01 हेक्टर, 741 रकवा 0.11 हेक्टर, 910 रकवा 0.21 हेक्टर, 763 रकवा 0.23 हेक्टर ग्राम विनेगा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व उसी अनुसार सरकारी कागजात व लैण्ड होल्डर रिकॉर्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे। वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि वह जबावदारान को भूमि हाल खसरा नम्बर 729 रकवा 0.47 हेक्टर, 729/963 रकवा 0.01 हेक्टर, 741 रकवा 0.11 हेक्टर, 910 रकवा 0.21 हेक्टर, 763 रकवा 0.23 हेक्टर ग्राम बिनेगा के उपयोग व उपभोग में कोई मजाहमत ना

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

तो स्वय पैदा करे ना ही किसी अन्य से कराये व जबावदारान को भूमि से बेदखल नही करे व भूमि का रहन बेचान नही करे व मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दिनांक 27.9.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विद्वान वकील वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत हुए एवं खातेदारों के 1/8, 1/8 हिस्से अनुसार विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने जबाब मे अंकित किया गया है कि वादी का हिस्सा मिन जबावदारान बैंक के यहां रहन रखा हुआ है। वादी ने अपने हिस्से की उक्त आराजीयात की जमीन बैंक में रहन रखकर जून 2013 मे ऋण लिया व अब तक उक्त ऋण की पूर्ण अदायगी न करने के कारण बैंक की उस पर दिनांक 28.09.2018 को राशि 40,000/— रूपये व उस पर ब्याज बाकी है। बैंक द्वारा वादी को जो ऋण की राशि दी है उसका पूर्ण भुगतान किये बिना वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बैंक मे जमा राशि जनता की राशि है इस प्रकार बैंक मे जमा राशि न चुकाकर वादी जैसे डिफाल्टर न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लेंगे तो बैंक की बकाया कोई अदा नही करेगा। इसलिये बैंक की ओर से निवेदन है कि बैंक की बकाया राशि वादी द्वारा अदा करने पर ही दावे में आगामी कार्यवाही की जावे, बैंक की बकाया राशि जमा न करने पर उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जावे व वादी का दावा खारिज फरमाया जावे। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि उक्त अनुसार दावे का निस्तारण फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई—

1. आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 729, 729/963, 741, 910, 763 ग्राम बिनेगा मे स्थित है। जिसमे पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

——वादी

2. आया दिनांक 10.6.2019 को वादी ने वादग्रस्त भूमि के बंटवारे हेतु प्रतिवादीगण से कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने भूमि बंटवारा कराने हेतु मना कर दिया।

——वादी

3. आया वादी वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्डस से विभाजन करवा कर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

——वादी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी ने कभी काश्त नही की है एवं वादी का भूमि पर कब्जा नही है। वादी ने भूमि को स्टाम्पो पर विक्रय कर क्रेतागण का कब्जा करा दिया है।
—प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

5. आया जबाबदारान का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, बेदखली की मियाद भी निकल चुकी है। इसलिए दावा वादी मियाद बाहर है।
—प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

6. आया वादग्रस्त भूमि पर जबाबदारान का कब्जा होने के कारण जबाबदारान वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा अपने नाम करवाने एवं वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
—प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

7. अनुतोष

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073—2076 खाता संख्या 156 ग्राम बिनेगा प्रदर्श 1, खाता संख्या 155 ग्राम बिनेगा प्रदर्श 2 प्रस्तुत की है एवं स्वयं के बयान पीडब्ल्यू 1 कराये है।

जबाब के समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है एवं बयान प्रतिवादी राजेश मीना डीडब्ल्यू1, बयान प्रतिवादी गणेश मीना डीडब्ल्यू 2 कराये है।

दिनांक 17.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के वकील द्वारा कोई पैरवी की हिदायत नही होने सम्बन्धी बात कहकर मुकदमे मे कोई पैरवी नही की। फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्धान वकील वादी सुनी गई। वादी के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री कर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी बृजमोहन का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिसे वह अपने नाम पृथक से खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन मे कोई दस्तावेज एवं स्वंतत्र साक्ष्य प्रस्तुत नही की है तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी की जा चुकी है। फलस्वरूप वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन स्कीम मंगवाया जाना उचित है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दिनांक 17.12.2021 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवायी गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिनांक 31.1.2022 को विभाजन स्कीम इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर वादी के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। वादी के विद्वान अभिभाषक विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 741 रकबा 0.11 है0, ख0न0 763रकबा 0.23 है0, कुल रकबा 0.34 है0 ग्राम बिनेगा रहेगी। खातेदार के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।

2. गणेश पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 729 रकबा 0.23 है0 (उत्तरी हिस्सा), ख0न0 910 रकबा 0.1050 है0 (दक्षिणी हिस्सा), कुल रकबा 0.3350 है0 ग्राम बिनेगा रहेगी।

3. धर्मी पुत्र जगमोहन हि0 1/4, कुरूं उर्फ राजेश पुत्र जगमोहन हि0 1/4, दयालो पत्नी जगमोहन हि0 1/4, सीमा पुत्री जगमोहन हि0 1/4, जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 729 रकबा 0.23 है0 (दक्षिणी हिस्सा), ख0न0 910 रकबा 0.1050 है0 (उत्तरी हिस्सा), कुल रकबा 0.3350 है0 ग्राम बिनेगा रहेगी।

4. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल हि0 1/3, गणेश पुत्र रामजीलाल हि0 1/3, धर्मी पुत्र जगमोहन हि0 1/12, राजेश पुत्र जगमोहन हि0 1/12, दयालो पत्नी जगमोहन हि0 1/12, सीमा पुत्री जगमोहन हि0 1/12 जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 729/963 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह रहेगी। बृजमोहन पुत्र रामजीलाल हि0 1/3 के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(12)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०

उनवान

बृजमोहन पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी विनेगा तह. गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1 कुरूं उर्फ राजेश पुत्र जगमोहन
2 गणेश पुत्र रामजीलाल
3 दयासलो पत्नि जगमोहन
4 धर्मी पुत्र जगमोहन
5 सीमा पुत्री जगमोहन

जाति मीना
निवासी विनेगा
तहसील गंगापुर सिटी

6 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबन्धक
7 सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –73/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 741 रकबा 0.11 है0, ख0न0 763रकबा 0.23 है0, कुल रकबा 0.34 है0 ग्राम बिनेगा रहेगी। खातेदार के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।

2. गणेश पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 729 रकबा 0.23 है0 (उत्तरी हिस्सा), ख0न0 910 रकबा 0.1050 है0 (दक्षिणी हिस्सा), कुल रकबा 0.3350 है0 ग्राम बिनेगा रहेगी।

3. धर्मी पुत्र जगमोहन हि0 1/4, कुरूं उर्फ राजेश पुत्र जगमोहन हि0 1/4, दयालो पत्नी जगमोहन हि0 1/4, सीमा पुत्री जगमोहन हि0 1/4, जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 729 रकबा 0.23 है0 (दक्षिणी हिस्सा), ख0न0 910 रकबा 0.1050 है0 (उत्तरी हिस्सा), कुल रकबा 0.3350 है0 ग्राम बिनेगा रहेगी।

4. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल हि0 1/3, गणेश पुत्र रामजीलाल हि0 1/3, धर्मी पुत्र जगमोहन हि0 1/12, राजेश पुत्र जगमोहन हि0 1/12, दयालो पत्नी जगमोहन हि0 1/12, सीमा पुत्री जगमोहन हि0 1/12 जाति मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 729/963

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(13)

बृजमोहन बनाम कुर्रु वगैरा, दावा

(2)

रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह रहेगी। बृजमोहन पुत्र रामजीलाल हि0 1/3 के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा। उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.2.2022 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		